



- 2- कैफेटेरिया/रेस्टोरेन्ट का ठेका होने पर ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का ई0पी0एफ0/ ई0एम0आई0 आदि की कटौती सम्बन्धित एक्ट के अधीन किये जाने का दायित्व ठेका संचालक का होगा। ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारी परिवहन निगम के नहीं माने जायेंगे तथा किसी भी नबालिक को स्टालों पर कार्य में नही लगाये जाने का लिखित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 13- निविदा फार्म मूल्य रू0 200.00 + जी0एस0टी0 जिसकी वापसी नहीं होगी का डी0डी0 जो rm upsrc lucknow के पक्ष में देय होगा तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क का ड्रफ्ट हार्ड कापी के साथ संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 14- निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर तीन माह के समतुल्य अर्थात् एक वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत (03 तीन माह की) धनराशि का बैंक ड्रफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ के नाम बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
- 15- निविदा प्रपत्र के साथ स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु जनपदीय मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिये रू0 10,000/- तथा इससे भिन्न स्टेशनों हेतु रू0 2000/- ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ड्राफ्ट निविदा पत्र पर अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या: 1118रोपी/15-177एफए/01कानपुर-11 दिनांक 05.11.2015 के अनुपालन में रू0 10,000/- का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- 16- समिति द्वारा स्वीकृत स्टाल हेतु स्टाल की उपलब्धता एवं अपयुक्तता का पूर्ण सक्षम समिति का भी मूल्यांकन होगा।
- 17- प्री-बिड मीटिंग हेतु तिथि 23.03.2018 दिन शुक्रवार का समय 15.00 बजे से 18.00 बजे तक समस्त निविदादाता/प्रस्तावक अनिवार्य रूप से आमन्त्रित हैं जिन्हें किसी विषय पर निविदादाता का कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो प्री-बिड मीटिंग में चर्चा किये जाने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं।
- 18- उ0प्र0 परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न स्टालों सम्बन्धी विपमावली-2009 एवं निगम मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 1543एफए/02-177एफए/01 मसठ दिनांक 25 जुलाई, 2002 के अनुसार ही स्टालों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 19- स्वच्छता के दृष्टिगत मूंगफली के दानों का बोर्ड पर मूंगफली की बिल्क प्रतिरक्षित रहेगी।
- 20- किसी शर्त को अंकित करते हुये निविदा प्राप्त कराये जाने पर प्राप्त निविदा को निरस्त किया जायेगा।
- 21- इच्छुक निविदाकर्ता 02 लिफाफे में अपना बिड प्रस्तुत करेंगे। प्रथम लिफाफे की व द्वितीय फाइनेन्शियल लिफाफे में से पहले लिफाफे में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र/सम्बन्धी इत्यादि की प्रतियां रखे। सभी अभिलेख एवं उपरोक्त शर्तें पूर्ण हाने पर ही द्वितीय लिफाफा (फाइनेन्शियल) खोला जायेगा अन्यथा शर्तें पूरी न करने वाले निविदाकर्ताओं की फाइनेन्शियल बिड के लिफाफे को भस्म करके वापस कर दिया जायेगा।


 क्षेत्रीय प्रबन्धक
 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्ना लिखित को सूचनार्थ एवं इस पत्र के साथ कि नीलामी को उक्त निविदा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कर्त्तव्य है:-

- 1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीए/संचालन-1), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- सहायक प्रबन्धक(एम0आई0 स0), जे0 मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
- 6- सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 7- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
- 8- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 9- कोषाध्यक्ष/नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।


 क्षेत्रीय प्रबन्धक
 लखनऊ।